भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1249
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

1249. श्रीमती केशरी देवी पटेलः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निराशाजनक पहलू क्या हैं;
(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या कार्यशील वर्गों में महिलाओं की आधी आबादी होने के बावजूद उनकी भागीदारी केवल एक तिहाई है;
(घ) क्या सरकार का इस स्थिति में परिवर्तन लाने या कामकाजी आबादी में महिलाओं की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन हेतु प्रचार कार्यक्रमों पर जोर देने का विचार है;
(ङ) कामकाजी महिलाओं को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(च) कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 22.0% एवं 23.3% हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने सभी श्रेणी के कर्मचारियों को संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

मजदूरी संहिता, 2019 यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सरकार राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है जहां रोजगार तलाश, रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं एनसीएस परियोजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के साथ एक साझा मंच पर प्रदान की जा रही हैं। एनसीएस पोर्टल पर महिलाओं के लिए रोजगार को विशेष रूप से महिला विशिष्ट विंडो में प्रदर्शित किया जाता है।

*****